पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तरांचल

## उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 जून, 2006 ई0 (ज्येष्ठ 27, 1928 शक सम्वत्) [संख्या–24

### विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें


| विषय | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... ... ... | — | 3075 |
| भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ... | 209–220 | 1500 |
| भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ... | 81–82 | 1500 |
| भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ... ... | — | 975 |
| भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ... | — | 975 |
| भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल ... ... | — | 975 |
| भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल ... ... | — | 975 |
| भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ... ... ... | — | 975 |
| भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ... | — | 975 |
| भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ... | — | 975 |
| स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ... | — | 1425 |

## ऊर्जा विभाग

### अधिसूचना

07 मार्च, 2006 ई०

संख्या 385/I/2006–02 (2)/10/02–विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36, सन् 2003) की धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) और (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और विद्यमान समस्त नियमों का अधिक्रमण करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

### उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2006

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2006 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से आयोग के किसी सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) "चयन समिति" से अधिनियम की धारा 85 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग कर उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के सदस्यों के चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति अभिप्रेत है;

(च) "संयोजक" से ऊर्जा विभाग में राज्य सरकार का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है; और

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में है।

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की रीति :

अधिनियम की धारा 85 के अधीन रहते हुए अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए चयन निम्न रीति से किया जायेगा:–

(क) आयोग का सचिव, मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाये जाने के कारण हुई रिक्ति की दशा में यथाशीघ्र तथा अधिवर्षता या किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति की दशा में सात मास पूर्व राज्य सरकार को लिखित रूप में अधिसूचित करेगा;

(ख) राज्य सरकार उपनियम (1) या अन्यथा रिक्ति की सूचना प्राप्त होने पर रिक्ति भरने के लिए अधिनियम की धारा 85 में विहित अवधि के भीतर चयन समिति को सन्दर्भित करेगी;

(ग) अध्यक्ष और किसी सदस्य के पद पर उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के प्रयोजन के लिये संयोजक विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विभागों, सार्वजनिक और निजी उपक्रमों, औद्योगिक संगठनों और विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और प्रदाय में लगे हुए अन्य संगठनों, वित्तीय संस्थाओं, शैक्षिक संस्थानों और उच्च न्यायालय से राजपत्र तथा समाचार–पत्रों में रिक्ति अधिसूचित करके पात्र व्यक्तियों से सीधे आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा। पात्र व्यक्ति अपने आवेदन–पत्र सीधे या अधिकारी या प्राधिकारी जिसके अधीन वह तत्समय कार्य कर रहा है, के माध्यम से भेज सकता है;

(घ) संयोजक, सम्यक् रूप से आवेदित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और सम्बन्धित अभ्यर्थियों के समस्त सुसंगत अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखेगा;

(ङ) अभ्यर्थियों के चयन के लिए मापदण्ड ऐसे होंगे जैसे समय-समय पर चयन समिति द्वारा अवधारित किये जायें;

(च) किसी समुचित अभ्यर्थी का चयन अध्यक्ष और किसी सदस्य के पद पर बहुमत द्वारा विनिश्चित किया जायेगा;

(छ) चयन समिति, अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (4) तथा उपधारा (5) में उपबन्धित प्राविधानों के अध्यधीन गुणावगुण के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी;

(ज) राज्य सरकार चयन सूची के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर संस्तुत अभ्यर्थियों में से गुणावगुण के अनुसार अवसर देते हुए संस्तुत अभ्यर्थी की अध्यक्ष और सदस्य पद पर नियुक्ति-पत्र निर्गत कर राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

4. अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति :

अधिनियम की धारा 86 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जब कभी अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो राज्य सरकार किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के पद पर अस्थायी रूप से पदाभिहित कर सकेगी तथा रिक्त स्थानों के लिए यथाशीघ्र चयन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करेगी।

5. पद एवं गोपनीयता की शपथ :

आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल या उसकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेगा। पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित प्ररूप में होगी :-

गोपनीयता की शपथ

मैं, अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जब कि ऐसे अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।

संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ और प्रतिज्ञान

मैं, अमुक जो उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और देश की विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।

6. वेतन :

अध्यक्ष प्रतिमाह छब्बीस हजार रुपये तथा सदस्य प्रतिमाह पच्चीस हजार रुपये वेतन प्राप्त करेंगे :

परन्तु यदि अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अन्तिम रूप से आहरित वेतन से न्यून वेतन प्राप्त नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि यदि कोई पेन्शनभोगी व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशिकरण के पूर्व पेंशन की कुल रकम घटा दी जाएगी।

7. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :

अध्यक्ष और सदस्य केन्द्र सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुमन्य दरों पर अपने वेतन के समतुल्य महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और पर्वतीय भत्ता प्राप्त करेगा।

8. आवास :

(क) अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार के सचिव की श्रेणी के अधिकारी को अनुगम्य किराया मुक्त सरकारी आवास पाने का पात्र होगा।

(ख) जब कभी अध्यक्ष और सदस्य को खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवास की व्यवस्था न की जाय या वह स्वयं उसका लाभ नहीं उठाता है तो उसे राज्य सरकार के सचिव को प्रतिमास अनुगम्य मकान किराया भत्ते के रूप में संदाय किया जायेगा।

(ग) जहां अध्यक्ष या कोई सदस्य अनुज्ञेय अवधि के उपरान्त किसी सरकारी आवास का अध्यासन करता है, वहां वह यथास्थिति, लाईसेन्स फीस या शास्तिक किराये का देनदार होगा और प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार उसे बेदखल किया जा सकेगा।

9. वाहन :

अध्यक्ष या सदस्य इस निमित्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार सरकारी और निजी प्रयोजन की यात्राओं के लिये स्टाफ कार की सुविधा का पात्र होगा।

10. यात्रा भत्ता :

(क) अध्यक्ष और सदस्य भारत के भीतर दौरा करते समय या स्थानान्तरण पर (जिसके अन्तर्गत आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा और आयोग में पदावधि के पर्यवसान पर अपने गृह नगर को की गई यात्रा सम्मिलित है) यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और निजी सामान के परिवहन के लिए अध्यक्ष/सदस्य जो मा० उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं/रहे हैं, के लिये उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 तथा शेष के लिये उसी मापदण्ड और उन्हीं दरों के लिये पात्र होंगे जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी पर लागू होती है।

(ख) अध्यक्ष या सदस्य द्वारा केवल शासकीय प्रयोजन हेतु ही किये जाने वाले विदेशी दौरों के लिए राज्यपाल या पूर्व अनुमोदन और विदेश मंत्रालय से राजनीतिक दृष्टिकोण से और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन विदेशी मेहमाननवाजी स्वीकार करने के लिए, यदि कोई हो, गृह मंत्रालय से अनापत्ति अपेक्षित होगी:

परन्तु विदेशी दौरे की अवधि के दौरान दैनिक भत्ता और होटल आवास व्यवस्था, ऐसे आदेशों के जो राज्य सरकार के समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले समूह 'क' के अधिकारी पर लागू होती है, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये आर्थिक अनुदेशों या अन्य अनुदेशों के अनुरूप होंगे।

11. सत्कार भत्ता :

अध्यक्ष और सदस्य दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता पाने के पात्र होंगे।

12. अवकाश :

(i) अध्यक्ष और सदस्य निम्न प्रकार के अवकाशों के हकदार होंगे:-

(क) प्रत्येक छः मास की पूर्ण सेवा के लिये पन्द्रह दिन का उपार्जित अवकाश;

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सम्बन्ध में बीस दिन का चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर या निजी कार्यकलाप पर अर्द्ध-वेतन और अर्द्ध-वेतन अवकाश के लिये अवकाश वेतन उपार्जित अवकाश के दौरान अनुगम्य अवकाश के आधे के बराबर होगा;

(ग) अध्यक्ष/सदस्य के चिनेक पर अर्द्ध-वेतन अवकाश को पूर्ण वेतन अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु यह चिकित्सीय आधार पर लिया गया हो और सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित हो;

(घ) किसी एक पदावधि में वेतन और भत्तों के बिना एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम अवधि तक का असाधारण अवकाश।

(2) आयोग में कार्यकाल की समाप्ति पर अध्यक्ष या सदस्य अपने खाते में जमा उपार्जित अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन के बराबर नकद प्राप्त करने का हकदार होगा बशर्ते कि इस उपनियम के अधीन नकदीकरण करायी गयी छुट्टी की मात्रा और कोई नकदीकरण अवकाश, जिसके लिये वह आयोग में अपनी नियुक्ति से पूर्व पात्र था, भी है, मिलाकर तीन सौ दिन से अधिक नहीं होगी।

(3) सदस्यों का अवकाश स्वीकृत करने का सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष का अवकाश स्वीकृत करने के सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल होंगे।

13. छुट्टी यात्रा रियायत :

अध्यक्ष और सदस्य समतुल्य वेतनमान प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों को अनुमन्य सुविधानुसार ही छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने के पात्र होंगे :

परन्तु यदि अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है तो वह उसी वेतन पर और उन्हीं दरों पर जो, यथास्थिति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुमन्य होती हैं, छुट्टी यात्रा रियायत पाने का पात्र होगा।

14. चिकित्सीय उपचार :

अध्यक्ष और सदस्य ऐसे चिकित्सीय प्रतिपूर्ति और सुविधा के पात्र होंगे जो उ0प्र0 चिकित्सा परिचर नियमावली, 1946 एवं राज्य सरकार द्वारा इस हेतु समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुमन्य हों।

15. टेलीफोन सुविधा :

अध्यक्ष और सदस्य ऐसी टेलीफोन सुविधा के लिए पात्र होंगे जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय है।

16. भविष्य निधि :

अध्यक्ष और सदस्य अंशदायी भविष्य निधि नियम, 1962 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन अंशदान करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। आयोग में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुमन्य नहीं होंगे।

17. सेवा की अन्य शर्तें :

अध्यक्ष और सदस्य की सेवा की अन्य शर्तें जिनके सम्बन्ध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वही होंगी जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुमन्य हैं।

18. नियम शिथिल करने की शक्ति :

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि इस नियमावली के किन्हीं नियमों के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई है, वहां वह आदेश द्वारा ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत व साम्यपूर्ण तरीके से कार्यवाही के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल कर सकती है।

19. व्यावृत्ति :

इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व अध्यक्ष के पद पर कार्यरत पदाधिकारी के सम्बन्ध में उनके सेवाकाल तक पूर्व में प्रवृत्त नियम ही प्रभावी रहेंगे।

आज्ञा से,

एन0 रवि शंकर,
प्रमुख सचिव।